

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 91/2017

सुलखनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 1 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। जरिये मुखत्यारेआम देवेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नई मण्डल घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांत

नाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पॉडेंट



अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. नू. राजस्व अधि. 1958

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 21.07.2017

व्यवस्था:—

श्री जलविन्द्र सिंह भंगू अभिभाषक अपीलांत

श्री इकबालसिंह सिद्ध, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 30.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांत/प्रार्थी ने जरिये मु.आम उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष रकबा आवंटन करवाने बाबत प्रापत्र पेश किया। उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा दिनांक 21.07.2017 को प्रार्थी का प्रापत्र इस आधार पर फाईल कर दिया कि इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपीलांत द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में अपील मीमा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अर्धी न्यायालय द्वारा

30/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रापत्र विधि विरुद्ध खारिज किया है। अपीलांट ने कथन किया कि यह मामला सामान्य आवंटन का नहीं था बल्कि जलाटशुदा भूमि के बदले में अन्य भूमि देने का था। अपीलांट ने अपील में हुई देरी बाबत दफा 5 का प्रापत्र नय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट को चक्र 11 ए. आर.एम. की 14 बीघा अनकनाण्ड भूमि के बदले में प्रस्तावित भूमि का आदेश दिया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।




उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.07.2017 के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.09.2017 को पेश की। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 के प्रापत्र का रैस्पों. द्वारा जबाब नय शपथ पत्र खण्डन नहीं करने से अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.07.2017 के विरुद्ध पेश हुई। जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रापत्र इस आधार पर खारिज किया है कि अधी. न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है जबकि अधी. न्यायालय Alloting Authority होकर कार्यवाही की जानी अपेक्षित होने से निर्णय अपारस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की इबारत है कि प्रार्थी के नाम के नाम चाके चक्र


25/11/17
उपखण्ड अधिकारी
भोपालनगर (राज.)

ए.आर.एम. का मु.नं. 58/40 का कुल 14 बीघा रकबा आवंटन श्रीमान ए. सी.सी. घडसाना मुकाम अनुपगड के द्वारा दिनांक 15.10.1980 को आवंटन किया गया था जो कि प्रार्थी का उक्त रकबा किसी अन्य को आवंटन हो गया है। जोकि प्रार्थी को उक्त रकबा का कब्जा नहीं मिला है तथा उक्त रकबा की एवज में अन्य रकबा आवंटन नहीं हुआ है। प्रार्थी सन् 1984 से लगातार धक्के खा रहा है प्रार्थी की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। प्रार्थी को उक्त रकबा की एवज में अन्य रकबा आज तक नहीं मिला है। प्रार्थी को अदालतों में चक्कर लगाते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। प्रार्थी की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थी एक गरीब परिवार है। प्रार्थी के पास आय का अन्य कोई भी साधन नहीं है। प्रार्थी मेहनत मजदुरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी को उक्त रकबा के एवज में अन्य रकबा आवंटन किया जावे। जिस पर अधी. न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही का Text है कि श्रीमान जी. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि चक 11ए.आर.एम. के मु.नं. 58/40 की 14 बीघा भूमि के बदले में भूमि आवंटन करने का निवेदन किया गया है। प्रा.पत्र के संलग्न मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से फर्द अहकाम दिनांक 30.06.82 को प्रार्थी का उक्त आवंटन कब्जा नहीं लेने के कारण खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थी के प्रा.पत्र पर इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आज्ञा हो तो प्रार्थी को सूचित कर प्रा.पत्र फाईल कर दिया जावे। रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। हस्ताक्षर/21.07.17, एस.डी.साहब/हस्ताक्षर।

अधी. न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटन की मूल पत्रावली संलग्न की है परन्तु पत्रावली की Merits का विवेचन नहीं किया गया आवंटन आदेश की फर्दअहकाम दिनांक 15.10.80 में आवंटनी को कब्जा लेने हेतु सूचित किये जाने की तिथियों के कॉलम खाली है

4112
30/4/17
रजिस्टर ऑफिसर
आंध्रप्रदेश (ए.ए.)

(Blank हैं) सन्दर्भ आदेश की डूबहू नकल है कि आज दिनांक 15.10.80 को सलाहकार समिति के सम्मन जलसा आम में लॉटरी निकाली गई। प्रार्थी के नाम घक नं. 11ARM मुरब्बा नं. 58/40 किला नं. 1 ता 3/3 बीघा, 6 ता 16/11 बीघा = 14 बीघा किरम भूमि कमाण्ड की लॉटरी निकाली गई। इस भूमि की कुल कीमत 16537.25 रूपये होती है। प्रार्थी को लॉटरी प्रणाली द्वारा आवंटित भूमि का निर्धारित प्रपत्र में आवंटन आदेश जारी किया जाकर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दफ्तर दाखिल हो। सायल को दिनांक... से तक कब्जा लेने हेतु सूचित किया गया।



उपरोक्त के अलावा अपीलांट को कब्जा लेने हेतु सूचना भेजना भी जाहिर नहीं है इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली के भरबरक सहित 10 पृष्ठ दर्शाये हैं। उनमें कब्जा लेने की सूचना के नोटिस की न तो ऑफिस प्रति है न ही आदेशिका पर नोटिस के dispatch नम्बर इत्यादि अंकित है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आवंटित भूमि का कब्जा लेने हेतु अपीलांट को सूचित किया हो।

अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.06.82 में फर्दअहकाम पर आवंटन आदेश निरस्त अंकित है जबकि Note-sheet के निर्णय की पालना में निरस्ती आदेश जारी होना नहीं पाया गया। निरस्ती की सूचना अपीलांट को दिया जाना प्रतीत नहीं है क्योंकि सन्दर्भ पत्र पत्रादि की प्रतियां पत्रावली पर नहीं हैं। अतः मात्र यह लिख देने से कि अपीलांट कब्जा लेने नहीं आने से आवंटन निरस्त करना वह भी Note-sheet पर एवं वह भी साइक्लोस्टाइल आदेश में कॉलम भरकर करना निर्णय की Merits की बजाए pre-set mind को दर्शाता है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घडसाना का आदेश दिनांक 21.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट


30/11/17
उपाय प्रमुख परीक्षारी
योगानन्द (राज.)

द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए पक्षकारों को सुनकर विधि एवं गुणावगुण अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।



गया।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया


(प्रकाशन परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर